

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2918  
10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-माइग्रेट पंजीकरण

**2918.** एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जनवरी, 2019 से ईसीआर देशों को जाने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए ई-माइग्रेट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अनिवार्य किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) कुल कितने प्रवासी देश-वार पंजीकृत किए गए हैं?

उत्तर

(विदेश राज्य मंत्री)

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) जी, नहीं। ई-माइग्रेट पंजीकरण केवल 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले सभी उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्टधारकों के लिए अनिवार्य है। ईसीआर पासपोर्टधारकों को संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवासन स्वीकृति लेना आवश्यक है। 26.05.2014 से ई-माइग्रेट प्रणाली के शुरू होने के बाद से यह स्वीकृति ई-माइग्रेट प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जानी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति स्वतः ही ई-माइग्रेट प्रणाली में पंजीकृत हो जाते हैं। उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं (ईसीएनआर) पासपोर्टधारकों के लिए ई-माइग्रेट में पंजीकरण वर्तमान में स्वैच्छिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ई-माइग्रेट प्रणाली में पंजीकृत ईसीआर पासपोर्टधारकों की देश-वार कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	देश का नाम	2016	2017	2018	2019 (30.6.19)
1	अफ़ग़ानिस्तान	0	0	0	0

2	बहरीन	11,964	11516	9142	3660
3	इंडोनेशिया	01	10	10	0
4	इराक	0	0	0	0
5	जॉर्डन	2742	2341	1941	1878
6	कुवैत	72384	56,380	57,613	23,264
7	लेबनान	316	110	109	134
8	लीबिया	0	0	0	0
9	मलेशिया	10604	14,002	16370	4413
10	ओमान	63,236	53,332	36037	14434
11	कतर	30,619	24,759	34471	12,738
12	सऊदी अरब	165,355	78611	72,399	67,151
13	सूडान	0	1	0	0
14	दक्षिण सूडान	0	0	0	0
15	सीरिया	0	0	0	0
16	थाईलैंड	01	0	6	14
17	संयुक्त अरब अमीरात	163,716	149,962	112,059	39,372
18	यमन	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>520,938</b>	<b>391,024</b>	<b>340,157</b>	<b>167,058</b>

स्रोत: ई-माइग्रेट पोर्टल।

\*\*\*\*\*